Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 20-04-2005

Participants : Rawat Shri Bachi Singh

Title: Need to review the decision to prematurely curtail the special category status accorded to Uttaranchal for enabling industrial promotion in the state.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, पूर्व में सरकार ने उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद उस नवोदित राज्य के त्वरित विकास हेतु उसे विशेा श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया और दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से उत्तरांचल को विशेा श्रेणी के राज्य का लाभ मिलना प्रारम्भ हुआ।

विकास के साथ-साथ नौजवानों को रोज़गार मिले और उत्तरांचल तेजी से औद्योगिक प्रगति करे, इस आशय से सरकार द्वारा 7.1.2003 से आगामी दस वर्ाों यानि (6.1.2013 तक) उत्तरांचल प्रदेश में स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्योगों को उत्पादन कर, आयकर आदि में शतप्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ-साथ अनेक प्रोत्साहन व रियायतें प्रदान की गई।

इन छूटों व प्रोत्साहनों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तरांचल राज्य के हित में जारी किया। इस ि वशेा औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जो दस वर्ाों के लिये दिया गया था, को वर्तमान सरकार द्वारा दस वर्ाों के बजाय चार वर्ाों के लिये कर दिया गया यानि यह पैकेज सन् 2007 तक ही लागू रखने का फैसला लिया गया है, जिससे उत्तरांचल क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर विपरीत असर पड़ रहा है। बड़े व मझौले उद्योग जो यहां आने के लिये इच्छुक थे, उन्होंने अब यहां न आने का निश्चय कर लिया है।

उपरोक्त दस वर्ाों की अवधि में 6 वर्ाों की कटौती से सैंकड़ों उद्योग यहां पर अब स्थापित नहीं हो सकेंगे व हजारों बेरोजगार नवयु वकों के लिये इन उद्योगों में जो रोज़गार का अवसर मिलने वाला था, वह भी समाप्त हो गया है।

अत: उत्तरांचल के पिछड़ेपन व भीाण बोरोज़गारी को देखते हुये मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व सरकार द्वारा 2013 तक के लिये लागू किये गये विशेा औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की 6 वर्ाों की कटौती को तत्काल वापस लें, ताकि उत्तराचल में औद्योगिक समृद्धि के साथ-साथ भीाण बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो सके।